399

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)</u>

<u>// विविध आदेश //</u>

क्रमांक...20........./ रीवा, दिनांक 23/01/2023
दो–15–3/90

श्री आर0के0 शर्मा चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का पत्र क्रमांक 150/23 रीवा दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से यह अवगत कराया कि कार्यालय विविध आदेश क्रमांक–13 दिनांक 14.01.2023 के द्वारा नियमित सिविल अपील क्रमांक–17/2017 रविनन्दन वि0 बृजवासी दाहिया को अंतरित किया गया है, क्योंकि उनके न्यायालय में पदस्थ सिविल रीडर द्वारा यह जानते हुए भी उक्त अपील संबंधित व्यवहार वाद क्रमांक 12/2010 रामदुलारे वि0 रविनन्दन विचाराधीन है तथा यह प्रकरण 25 पुराने प्रकरणों की सूची में शामिल है। उपरोक्तानुसार लेख करते हुए उक्त न्यायाधीश द्वारा नियमित सिविल अपील क्रमांक–17/2017 रविनन्दन वि0 बृजवासी दाहिया अंतरण सूची से निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

अतः श्री आर0के0 शर्मा चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का पत्र क्रमांक 150/23 रीवा दिनांक 17.01.2023 को दृष्टिगत रखते हुए सिविल अपील क्रमांक–17/2017 रविनन्दन वि0 बृजवासी दाहिया को षष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

sd/-
(सी0एम0 उपाध्याय)
प्रभारी–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0...413....../ रीवा, दिनांक 23/01/2023
दो–15–3/90

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. चतुर्थ/षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
2. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल एड्रेस में भेजने हेतु।

प्रभारी– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)